सं0 14020/02/2014-एससीडी-IV
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
एससीडी ब्यूरो
****

'अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूंजी निधि' की योजना

अनुसूचित जाति के उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी प्रचालनात्मक दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि:

तत्कालीन वित्त मंत्री ने दिनांक 17 फरवरी, 2014 को दिए गए वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अपने अंतरिम बजट भाषण में अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा की कि अनुसूचित जातियों के लिए "उद्यम पूंजी निधि" की स्थापना निम्नलिखित रूप से होगी:

"अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें रियायती वित्त प्रदान करने हेतु, आईएफसीआई अनुसूचित जातियों के लिए एक उद्यम निधि की स्थापना करेगा। मैं 200 करोड़ रू0 की प्रारंभिक पूंजी प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूं, जिसे प्रति वर्ष संपूरित किया जा सकता है।"

उक्त आवंटन सामाजिक क्षेत्र की पहलों के अंतर्गत है ताकि अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके और उन्हें रियायती वित्त प्रदान किया जा सके।

2. योजना के उद्देश्य:

"उद्यमिता" का संबंध नवाचार तथा संवृद्धि प्रौद्योगिकियों के प्रति उन्मुख व्यवसायों का प्रबंधन करने वाले उद्यमियों से है। उपर्युक्त निधि का मुख्य प्रयोजन उन उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है जो समाज के लिए धन एवं मूल्य का सृजन करेंगे और साथ ही, लाभकारी व्यवसाय को बढ़ावा देंगे।

इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- यह राष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली सामाजिक सेक्टर की पहल है ताकि भारत में अनुसूचित जाति आबादी के बीच उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके।
- नवाचार तथा संवृद्धि प्रौद्योगिकियों के प्रति उन्मुख अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना।

- अनुसूचित जाति के उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करना, जो समाज के लिए धन एवं मूल्य का सृजन करेंगे करेंगे और साथ ही, लाभकारी व्यवसायों को बढ़ावा भी देंगे। इस तरह सृजित की गई परिसंपत्तियों से अग्रगामी/पश्चगामी सम्बद्धता सृजित होगी। इससे आगे इस क्षेत्र में श्रृंखला प्रभाव भी सृजित होगा।
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ाना और उन्हें अनुसूचित जाति के समुदायों की भावी संवृद्धि हेतु अभिप्रेरित किया जा सके।
- आर्थिक रूप से अनुसूचित जाति के उद्यमियों को विकसित करना।
- भारत में अनुसूचित जाति आबादी के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन में वृद्धि करना।

3. अनुमानित अनुसूचित जाति उद्यमियों की आबादी:

जनगणना, 2011 के अनुसार, अनुसूचित जाति की आबादी 20.13 करोड़ है जो भारत की कुल आबादी का 16.62 प्रतिशत है। हमारे देश जैसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में ऐसी योजनाओं हेतु व्यापक संभावना है जिससे अनुसूचित जाति आबादी उन्नति कर सकती है और मुख्य धारा में प्रगति करने के अवसर प्राप्त कर सकती है।

यद्यपि, अनुसूचित जाति के उद्यमियों के प्रोफाइल के बारे में कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है, तथापि भारतीय दलित वाणिज्य तथा उद्योग मंडल (डीआईसीसीआई) इत्यादि जैसे विभिन्न हितधारकों के स्थूल अनुमान के अनुसार, साठ हजार करोड़ रूपये के संयुक्त टर्नओवर वाले 100 दलित उद्यमी हैं। 10 करोड़ अथवा इससे अधिक टर्नओवर वाली लगभग 50 कम्पनियां हैं। अत: ऐसे व्यवसायों एवं उद्यमियों का उत्थान करने वाली ऐसी कम्पनियों को रियायती वित्त प्रदान करने की मांग काफी अधिक है।

(स्रोत: डीआईसीसीआई)

4. निधि की सांकेतिक विशिष्टताएं:

क्रम सं.	**मद**	**ब्यौरा**
1.	**प्रायोजक एजेंसी का नाम**	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
2.	**योजना का आकार**	200 करोड़ रू0 की प्रारंभिक पूंजी, जिसे प्रति वर्ष संपूरित किया जा सकता है।
3.	**योजना का स्वरूप**	केन्द्रीय क्षेत्र की योजना
4.	**योजना का ढांचा**	इस योजना को स्थिरक निवेशक के रूप में भारत सरकार तथा प्रायोजक निवेशक के रूप में आईएफसीआई लि0 के साथ सेबी के तहत आईएएफ विनियम, 2012 के तहत पंजीकृत निधि के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस योजना/निधि को स्थापित करने

		की प्रक्रिया अनुबंध-I में दी गई है।
5.	**परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी (एएमसी)/ नोडल एजेंसी का नाम**	आईएफसीआई उद्यम पूंजी निधि लि0
6.	**निधि की अवधि**	विस्तार स्वरूप 2 वर्ष की अवधि के प्रावधान के साथ क्रियान्वयन की तिथि से 10 वर्ष तक।
7.	**निधि के तहत क्लोजिंग अवधि**	निधि के तहत क्लोजिंग अवधि सेबी के आईएएफ विनियमों के अंतर्गत सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने की तिथि से छः माह से अधिक नहीं होनी चाहिए और यह सेबी के साथ निधि के पंजीकरण से पहले होनी चाहिए। यदि, निधि के पंजीकरण के पश्चात कुछ निवेशक निधि की सुपुर्दगी करते हैं, इन निवेशकों की प्रतिबद्धताओं को समायोजित करने हेतु अनुमोदनार्थ एक संशोधनात्मक न्यास विलेख सेबी को पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।
8.	**आहरण द्वारा कमी (ड्रा डाउन) की अवधि**	समग्र निधि के प्रति पूंजीगत अंशदान को क्लोजिंग की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक आहरित जा सकता है।
9.	**निवेश अवधि**	क्लोजिंग की तिथि से 5 वर्ष तक
10.	**इस योजना में अंतर्ग्रस्त लागत**	1. **निधि का व्ययः** निधि की निर्धारित अवधि से आगे व्यय किए जाने हेतु समग्र निधि का 2 प्रतिशत (एकबारगी) 2. **एएमसी को प्रबंधन शुल्कः** प्रतिबद्धता अवधि के दौरान (ड्रा डाउन अवधि तक) कुल प्रतिबद्ध पूंजी के 1.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रबंधन शुल्क और इसके पश्चात प्रबंधन शुल्क बकाया पूंजी अंशदानों के 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से होगा।
11.	**निवेशकों को निधि का प्रतिफल**	• भारत सरकार से भिन्न निवेशकों से अंशदान प्राप्त करने हेतु, निधि में दो प्रकार के निवेश योग्य यूनिटों को वर्ग क यूनिटों तथा वर्ग 'ख' यूनिटों में जारी किया जाएगा। • 200 करोड़ रू0 की आरंभिक अंशदान राशि सहित भारत सरकार और प्रायोजक निवेशक को वर्ग ख यूनिट आवंटित की जाएगी। • यदि अन्य निवेशक (जैसे एलआईसी, जीआईसी, अन्य बीमा कम्पनियां और राष्ट्रीयकृत बैंक, इत्यादि) अंशदान करते हैं तो इन्हें वर्ग क यूनिट आवंटित की जाएगी। • वर्ग क यूनिट को यूनिटों के मोचन और वर्ग ख यूनिटों में प्रतिफलों के भुगतान की भी वरीयता होगी। • वर्ग क यूनिट को 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से प्रतिफल की बाधा दर प्राप्त होगी, अवशिष्ट नकद प्रवाह वर्ग ख यूनिटों में जाएगा।

12.	**वित्त पोषित किए जाने वाले अनुमानित परियोजनाओं की संख्या**	ऐसा अनुमान है कि 200 करोड़ रू0 से 32* परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाएगी। उपर्युक्त व्यय तथा प्रबंधन शुल्क भी 200 करोड़ रू0 की राशि में से आहरित किया जाएगा। उपर्युक्त कार्य व्यापारों की प्राप्ति हेतु किया गया अनुमान निम्नानुसार है:- • **5 करोड़ रू0 तक वित्तीय सहायता -12 कार्य व्यापार* ;** • **5 करोड़ रू0 से अधिक राशि के लिए वित्तीय सहायता- 20 कार्य व्यापार*** • इसके अलावा, 250 करोड़ रू0, 350 करोड़ रू0 तथा 500 करोड़ रू0 की समग्र निधि के मामले में निवेशकर्ता कम्पनियों की संख्या **अनुबंध - II** में दी गई है। (* मामले की गुणवत्ता तथा व्यवहार्यता/धारणीयता के आधार पर आंकड़े परिवर्तित हो सकते हैं)
13.	**परिवर्तन**	भारत सरकार से किसी सलाह, सेबी की अपेक्षा, विधि तथा कर संबद्ध मुद्दों इत्यादि की अपेक्षाओं पर, उपर्युक्त प्रतिबंध एवं शर्तों/संरचना समय-समय पर आशोधित/संशोधित हो सकती है।

5. सांकेतिक क्रियान्वयन अवधि तथा प्रचालन के क्षेत्र:

यह योजना पूरे देश में वर्ष 2014-15 के दौरान लागू होगी।

6. योजना की सांकेतिक संरचना

6.1 पात्रता मानदंड:

- विनिर्माण के क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाएं/यूनिट में लगाई गई निधि में से परिसंपत्ति सृजन को सुनिश्चित करने वाले सेवा सेक्टर पर विचार किया जाएगा ;
- अनुसूचित जाति के उद्यमियों का चयन करते समय अनुसूचित जाति की महिला उद्यमियों को वरीयता दी जाएगी ;
- प्रबंधन नियंत्रण सहित विगत 12 महीनों के लिए अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत पणधारिता वाली कम्पनियां ;
- प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के समय उद्यमियों द्वारा अनुसूचित जाति के होने के दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे;
- निवेश प्राप्तकर्ता कम्पनी के अनुसूचित जाति के प्रवर्तक इस योजना के तहत इसमें से निकासी तक कम्पनी में 60 प्रतिशत से कम अपनी पणधारिता को वापस नहीं लेंगे। तथापि, इस योजना के तहत अर्ध-ईक्विटी लिखत के परिवर्तन की स्थिति में, रणनीतिक निवेशों, कम्पनी का शेयर खरीदकर उस पर नियंत्रण करने की स्थिति में, जिससे अनुसूचित जाति के उद्यमी की शेयर दारिता कम हो, परिसंपत्ति प्रबंधन कम्पनी (एएमसी) से पूर्व में लिखित अनुमोदन अपेक्षित होगा;

- **5 करोड़ रू0 से अधिक राशि की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कम्पनियां इस योजना के तहत सहायता प्राप्ति हेतु सम्पर्क करने के पूर्व बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वरीय रूप से अपनी परियोजनाओं का मूल्यांकन करांएगी।**
- **5 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृत सहायता वाली कम्पनियों के लिए न्यास/निधि प्रबंधक द्वारा जारी की गई धनराशि बैंकों द्वारा जारी ऋण श्रृंखला के अनुपात में होगी।**

6.2 योजना संबंधी ब्यौरा (सांकेतिक):

वित्तीय सहायता संबंधी योजना का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	**योजना का प्रयोजन**	अनुसूचित जातियों के उद्यमियों को रियायती वित्त प्रदान करना।
2.	**निवेश पर ध्यान**	लगाई गई निधि में से परिसम्पत्ति के सृजन को सुनिश्चित करने वाले विनिर्माण एवं सेवा सेक्टर में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं/यूनिटों में निवेश
3.	**वित्तीय सहायता का स्वरूप**	➢ ईक्विटी/वैकल्पिक रूप से/अनिवार्य रूप से परिवर्त्य अधिमान शेयर (समग्र का अधिकतम 25 प्रतिशत तक); ➢ निम्नलिखित जैसे ईक्विटी संबद्ध ऋण लिखत; • अनिवार्य रूप से परिवर्त्य डिबेंचर ; • वैकल्पिक रूप से परिवर्त्य डिबेंचर ; • गैर-परिवर्त्य डिबेंचर, इत्यादि, ➢ ऋण/गौण ऋण;
4.	**वित्तीय सहायता की अवधि**	किसी कम्पनी में 6 वर्ष की अवधि तक
5.	**मूलधन के संबंध में अधिस्थगन अवधि**	मामला दर मामला आधार पर, निवेशक की तिथि से अधिकतम 36 महीने की अवधि तक। निवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर कम्पनी में निवेश की तिथि से ब्याज भुगतान आरंभ होगा। (क्रम संख्या 13 में परिभाषित)
6.	**निवेश आकार**	0.50 करोड़ रुपए से 15 करोड़ रु; तक । कुल सहायता कंपनी की वर्तमान निवल संपत्ति का दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
7.	**निवेश के माध्यम से प्रत्याशित लाभ (रिटर्न)**	• इक्विटी संबंधी लिखत से प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत का लाभ हो सकता है । • ऋण/परिवर्तनीय लिखत से प्रतिवर्ष 10 प्रतिवर्ष का लाभ मिल सकता है ।
8.	**वित्तपोषण पद्धति**	निधि के अंतर्गत निवेश का श्रेणीकरण निम्नलिखित रूप से किया जाएगा: i. **5 करोड़ रु. तक वित्तीय सहायता** - इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश संबंधी वित्तपोषण, परियोजना लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत तक किया जाएगा और शेष 25 प्रतिशत परियोजना लागत का वित्तपोषण संवर्द्धकों द्वारा किया जाएगा ।

		ii. 5 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय सहायता- क. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेश संबंधी वित्तपोषण, परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक किया जाएगा । परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत वित्तपोषण बैंक/अन्य संस्थानों द्वारा किया जाना होगा । शेष 25 प्रतिशत परियोजना लागत का वित्तपोषण संवर्द्धकों द्वारा किया जाएगा । ख. कुल परियोजना की 25 प्रतिशत की मंजूरी सहित, बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा अग्रेषित प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा । इस मामले में परियोजनाओं के बारे में बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अनिवार्य रूप से मूल्यांकन करना होगा ।
9.	**एग्जिट मैकेनिज्म**	• स्टॉक एक्सचेंजों अथवा किसी अन्य एग्जिट प्रोसेस में सूचीबद्ध संवर्द्धकों/कंपनियों, नीतिगत निवेशों द्वारा प्रचालनों, बाइबैक/शोधन में से भुगतानों के माध्यम से एग्जिट करना ।
10.	**प्रतिभूति**	निवेश के दौरान निम्नलिखित प्रतिभूतियों की परिकल्पना की जाए:- • प्रतिभूति के लिए इस योजना के तहत वित्तपोषित/सहायता प्राप्त परियोजना की परिसंपत्तियों को प्रभारित किया जाएगा । परियोजना परिसम्पत्तियों में भूमि, भवन, संयत्र और मशीनरी तथा लाइसेंस/पेटेन्ट पर अधिकार शामिल होगा । • **5 करोड़ रुपए** से अधिक की सहायता के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों के मामले में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास पड़ी परिसंपतियों पर समरूप प्रभार । • यदि प्रथम प्रभार बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा धारित है तो परिसंपतियों पर द्वितीय प्रभार निवेश में से सृजित किया जाएगा। • परिसंपतियों पर प्रभार के अतिरिक्त, पश्च दिनांकित चैंक और प्रोनोट लिए जाएंगे । • बायबैक करार सहित संवर्द्धकों की व्यक्तिगत गारंटियों की प्रविष्टी की जाएगी । • संवर्द्धकों द्वारा धारित शेयरों को गिरवी रखना और कम से कम 26 प्रतिशत भागीदारी बनाना और जारी और 51 प्रतिशत तक जारी एवं प्रदत्त पूंजी स्वीकृत की जाएगी । तथापि, गिरवी रखे गए शेयरों की प्रतिशतता मामला दर मामला आधार पर निर्धारित की जाएगी । • यदि कोई बंधक उपलब्ध नहीं है तो उधार लेने वाला सम्पार्श्विक और कारपोरेट गारंटियों की व्यवस्था परिवार/मित्रों/सहयोगियों/समूह कंपनियों के माध्यम से कर सकता है ।
10.	**परियोजना को पूरा करने**	क. परियोजना को पूरा करने के लिए समय, इस योजना के

	की समय सीमा	तहत सहायता की पहली किस्त के वितरण की तिथि से 24 महीने की अधिकतम अवधि के अध्यधीन, स्वीकृति के स्तर पर की गई परिकल्पना के अनुसार होगा, जिसे 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि एएमसी द्वारा विलंब के कारण उचित पाए जाते हैं । ख. समय सारणी का पालन न करने पर, स्वीकृत राशि में से शेष बची राशियों का वितरण निवेश समिति द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन किया जाएगा ।
11.	**चयन प्रक्रिया**	• इस योजना के अंतर्गत कोई भी प्रस्ताव दो समितियों और चार स्तरों से गुजरेगा:- क. **छानबीन समिति (प्राथमिक स्तर):**- प्रस्ताव छानबीन समिति के समक्ष प्राथमिक विश्लेषण के लिए रखे जाएंगे ताकि यह देखा जा सके कि प्रस्ताव पात्रता मानदंड और प्राथमिक मूल्यांकन पैरामीटरों की पूर्ति करते हैं, जैसाकि **अनुबंध-III** उल्लिखित है । छानबीन समिति की अनुमति के बाद,प्रस्ताव को विस्तृत मूल्यांकन,विचार विमर्श और उसे ठीक से तैयार करने के लिए हाथ में लिया जाएगा । ख. **निवेश समिति (अंतिम स्तर)** : ✓ एएमसी द्वारा तैयार किए गए **अनुबंध-IV** में यथाउल्लिखित विस्तृत प्रस्ताव पर, पात्र प्रस्तावों के मामले में, मंजूरी के लिए निवेश समिति द्वारा विचार किया जाएगा । ✓ वित्तपोषण करने वाले बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकित प्रस्तावों को भी एएमसी को संदर्भ के लिए प्रस्तुत किया जाए । ✓ सहायता की मात्रा इस समिति द्वारा तैयार तय की जाएगी । ग. **विधिक प्रलेखीकरण स्तर**: निवेश समिति द्वारा मंजूरी के बाद, मंजूरी की शर्तों के साथ आशय पत्र निवेशी (इनवेस्टी) कंपनी को जारी किया जाएगा । आवश्यक विधिक प्रलेखीकरण एएमसी द्वारा एवं निष्पादित किया जाएगा । घ. **वितरण स्तर:** उपर्युक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद, वितरण मंजूरी की शर्तों के आधार पर किया जाएगा । निवेशी कंपनियों को वितरण श्रृंखलाओं में किया जाएगा । 5 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृत सहायता वाली कंपनियों के लिए, निधि से निर्मुक्त पैसा बैंक द्वारा निर्मुक्त ऋण श्रृंखला के अनुपात में होगा । • छानबीन समिति प्राप्त प्रस्तावों का विश्लेषण करने के लिए मासिक/नियमित आधार पर बैठक करेगी ।
12.	**छानबीन समिति/निवेश समिति**	• निवेश समिति/छानबीन समिति में एनएसएफडीसी, आईएफसीआई/आईएफसीआई उद्यम द्वारा नामित प्रतिनिधि

		और पर्याप्त अनुभव वाला एक बाह्य विशेषज्ञ होगा । • छानबीन समिति का कोई भी प्रतिनिधि निवेश समिति में नामित नहीं किया जाएगा ।
13.	**निगरानी**	एएमसी के अधिकारी द्वारा आवधिक दौरे, निरीक्षण किए जाएंगे । एएमसी के अधिकारी भी इन कंपनियों के बोर्ड में नामित निदेशक होंगे ।
14.	**परिवर्तन**	• मामला दर मामला आधार पर, उपर्युक्त शर्तों/ढांचे में समय-समय पर अंतर हो सकता है और उनमें आशोधन/संशोधन किया जा सकता है । • यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में लागू है; इस योजना को 6 महीने से एक वर्ष के बाद आशोधित, पुनरीक्षित किया जा सकता है ।

7. व्यापार स्रोत नीति

- प्रस्ताव प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापनों/प्रकाशनों के जरिए आमंत्रित किए जाएंगे ।
- अनुसूचित जाति उद्यमी योजना के लिए उद्यम पूंजी निधि की शुरूआत को अन्य संस्थानों/बैंकों/निवेश बैंकरों/अन्य वीसी की जानकारी में लाया जाएगा ताकि वे अनुसूचित जाति श्रेणी के अपने मौजूदा ग्राहकों को सूचित और प्रोत्साहित कर सकें ।
- ऐसे उद्यमियों द्वारा सीधे प्राप्त प्रस्ताव पर पात्रता मानदंड के अध्यधीन विचार किया जाएगा ।
- दलित भारतीय वाणिज्य चैम्बर और उद्योग (डीआईसीसीआई) से संपर्क करना और इसके विविध अध्यायों का अध्ययन करना ।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन संस्थाओं, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएसएफडीसी) और अनुसूचित जातियों के लिए अन्य राज्य वित्त संस्थाओं से संपर्क करना ।
- व्यापार मेला/प्रदर्शनी/सेमिनार
- आईएफसीआई और अन्य संस्थानों द्वारा संवर्द्धित तकनीकी परामर्शदाता संगठन (टीसीओ), जिनका प्राथमिक उद्देश्य नए उद्यमियों को तकनीकी परामर्श देना है, को यह सलाह दी जाएगी कि वे अनुसूचित जाति के उद्यमियों से प्रस्ताव प्राप्त करें । वे इस निधि को भी लोकप्रिय बनाएंगे और उद्यमियों की मदद करेंगे ।

8. संभावित बाध्यताएं/अनिश्चितताएं:

क्रम सं.	**बाध्यताएं**	**प्रभाव**
1.	**व्यापार का स्रोत**	अनुसूचित जाति के पात्र उद्यमियों का चयन करना एक चुनौती भरा कार्य हो सकता है ।
2.	**निवेश जोखिम**	• परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब • निवेशित (इनवेस्टिड) कंपनी द्वारा किसी लाभ/मूलधन की अदायगी न करना

3.	**निकास**	जो कंपनियां सूचीबद्ध नहीं हैं उनसे निकासी एक चुनौती होगी ।
4.	**प्रतिभूति का प्रवर्तन करना**	चूक करने के मामले में, अनुसूचित जाति के उद्यमियों की अचल प्रतिभूतियों के प्रवर्तन में कठिनाई होगी ।

9. अन्य शर्तें:

- ***आवेदन स्तर से मंजूरी स्तर तक की सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी और आईएफसीआई द्वारा समुचित ट्रेकिंग प्रणाली कार्यान्वित की जाएगी ।***
- ***आवेदन पत्र के स्तर से मंजूरी स्तर तक (अर्थात निवेश समिति के अंतिम निर्णय तक) किसी निवेश प्रस्ताव की परिपक्वता हेतु अपेक्षित अनुमानित समयावधि इक्विटी प्रस्तावों के लिए लगभग 3-4 महीने होगी और इक्विटी से जुड़े ऋण प्रस्तावों के लिए 2-3 महीने होगी ।***
- सभी लेन देनों की इंवेंटरी का रखरखाव करना ।
- जब कभी भी अपेक्षित हो, भारत सरकार को निष्पादन/अन्य रिपोर्टिंग करना ।
- इस योजना में आवश्यक लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं वार्षिक रूप से अपनाई जाएंगी ।
- निगरानी के बाद की गतिविधियों और नियमित अपडेट्स से समितियों/बोर्डों को अवगत कराया जाएगा ।

****

अनुबंध- I

क्रम सं.	योजना/निधि की स्थापना हेतु उपाय	समय
न्यास की स्थापना		
1	न्यास के अवस्थापक का निर्धारण	
2	न्यास के प्रायोजन का निर्धारण	
3	न्यासी की नियुक्ति	
4	न्यास विलेख की पुनरीक्षा तथा इसे अंतिम रूप देना	
5	निवेश प्रबंधन करार की पुनरीक्षा तथा इसे अंतिम रूप देना	
6	न्यास का रजिस्ट्रेशन	
7	न्यास के लिए स्थायी खाता सं. प्राप्त करना	
8	भारत में न्यास का बैंक खाता खोलना	
सेबी से एआईएफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना (न्यास के रजिस्ट्रेशनोत्तर)		
9		
10	एआईएफ आवेदन तैयार करना तथा इसे अंतिम रूप देना	
11	सेबी को एआईएफ आवेदन देना	
12	सेबी द्वारा उठाए गए प्रश्नों का (यदि आवश्यक हो) उत्तर देना	
13	एआईएफ आवेदन के संबंध में सेबी के साथ बैठकें तथा विचार-विमर्श करना।	**3-4 महीने**
14		
15	एआईएफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना	
निवेशक प्रलेखन		
16	प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम (पीपीएम) का प्रारूप तैयार करना	
17	कर तथा कानूनी परिप्रेक्ष्य से पीपीएम की पुनरीक्षा कानून तथा इसे अंतिम रूप देना	
18	अंशदान करार का प्रारूपण एवं समीक्षा करना	
19	निवेशकों से दृढ़ प्रतिबद्धता पत्र प्राप्त करना	

अनुबंध- II

अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए निधि की फैलान योजना

मामला I: निधि संग्रह - 250 करोड़ रू0

निधि अंशदान	**(करोड़ रू0 में)**
भारत सरकार का अंशदान (आश्रयदायी निवेशक के रूप में)	200.00
आईएफसीआई लिमिटेड का अंशदान (प्रायोजक के रूप में)	5.00
योग	**205.00**
आईएफसीआई लिमिटेड का अंशदान (निवेशक के रूप में)	45.00
कुल निधि	250.00
भारत सरकार %	80%
आईएफसीआई %	20%
फीस तथा एएमसी द्वारा प्रचार:	
निधि के 2 % की दर पर एक बारगी फीस	5.00
पहले 5 वर्षों के लिए 1.50 % प्रति वर्ष प्रबंधन फीस	18.00
कुल फीस	**23.00**
फैलाव हेतु बकाया निधि	**227.00**
भारत सरकार का अंशदान	181.60
आईएफसीआई का अंशदान	45.40
भारत सरकार से निधियों (200 करोड़ रू0) का उपयोग:	
5 करोड़ रू0 तक की वित्तीय सहायता - (निधि का 10 %)	18.16
5 करोड रू0 से अधिक वित्तीय सहायता - (निधि का 90 %)	163.44
कम्पनियों की संख्या (5 करोड़ रू0 तक वित्तीय सहायता)	12
कम्पनियों की संख्या (5 करोड़ रू0 से अधिक वित्तीय सहायता)	20
कुल सहायता प्रदत्त कम्पनियां	**32**
कुल निधियों का उपयोग (250 करोड़ रू0):	
5 करोड़ रू0 तक की वित्तीय सहायता - (निधि का 10 %)	22.70
5 करोड रू0 से अधिक वित्तीय सहायता - (निधि का 90 %)	204.30
कम्पनियों की संख्या (5 करोड़ रू0 तक वित्तीय सहायता)	15
कम्पनियों की संख्या (5 करोड़ रू0 से अधिक वित्तीय सहायता)	26
कुल सहायता प्रदत्त कम्पनियां	**41**

<u>मामला II: निधि संग्रह - 350 करोड़ रू0</u>

निधि अंशदान	**(करोड़ रू0 में)**
भारत सरकार का अंशदान (आश्रयदायी निवेशक के रूप में)	200.00
आईएफसीआई लिमिटेड का अंशदान (प्रयोजक के रूप में)	5.00
कुल	**205.00**
आईएफसीआई लिमिटेड का अंशदान (निवेशक के रूप में)	45.00
अन्य निवेशकों का अंशदान	100.00
कुल निधि	**350.00**
भारत सरकार %	57%
आईएफसीआई %	14%
अन्य निवेशक %	29%
एएमसी द्वारा फीस प्रभार:	
निधि के 2 % की दर पर एक बारगी फीस	7.00
पहले 5 वर्षों के लिए 1.50 % वार्षिक दर पर प्रबंधन फीस	24.075
कुल फीस	31.075
खर्च हेतु बकाया निधि	**319.00**
भारत सरकार का अंशदान	182.29
आईएफसीआई लि0 का अंशदान	45.57
अन्य निवेशकों का अंशदान	91.14
कुल निधियों (350 करोड़ रू0) का उपयोग	
5 करोड़ रू0 तक की वित्तीय सहायता - (निधि का 10%)	31.90
5 करोड़ रू0 से ऊपर की वित्तीय सहायता - (निधि का 90%)	287.10
कम्पनियों की संख्या (5 करोड़ रू0 तक की वित्तीय सहायता)	21
कम्पनियों की संख्या (5 करोड़ रू0 से ऊपर की वित्तीय सहायता)	36
सहायता प्राप्त कम्पनियों का योग	**57**

<u>मामला III: निधि संग्रहण - 500 करोड़ रू0</u>

भारत सरकार का अंशदान (आश्रयदायी निवेशक के रूप में)	200.00
आईएफसीआई लिमिटेड का अंशदान (प्रायोजक के रूप में)	5.00
योग	**205.00**
आईएफसीआई लिमिटेड का अंशदान (निवेशक के रूप में)	45.00
अन्य निवेशकों का अंशदान	250.00
कुल निधि	**500.00**
भारत सरकार का %	40%
आईएफसीआई का %	10 %

अन्य निवेशकों का %	50%
एएमसी द्वारा फीस प्रभार:	
निधि के 2 % की दर पर एक बारगी फीस	10.00
पहले 5 वर्षों के लिए 1.50 % वार्षिक दर पर प्रबंधन फीस	33.075
कुल फीस	43.075
खर्च हेतु बकाया निधि	**457.00**
भारत सरकार का अंशदान	182.80
आईएफसीआई लि0 का अंशदान	45.70
अन्य निवेशकों का अंशदान	228.50
कुल निधि (500 करोड़ रू0) का उपयोग	
5 करोड़ रू0 तक की वित्तीय सहायता - (निधि का 10%)	45.70
5 करोड़ रू0 से ऊपर की वित्तीय सहायता - (निधि का 90%)	411.30
कम्पनियों की संख्या (5 करोड़ रू0 तक की वित्तीय सहायता)	31
कम्पनियों की संख्या (5 करोड़ रू0 से ऊपर की वित्तीय सहायता)	51
सहायता प्राप्त कुल कम्पनियां	**81.00**

अनुबंध - III

<u>आईएफसीआई उद्यम पूंजी लिमिटेड</u>

आरंभिक मूल्यांकन

कम्पनी का नाम :
अवस्थिति :
(रजिस्टर्ड कार्यालय/प्रशासनिक कार्यालय) :
सौदा जिसके मार्फत प्राप्त हुआ :
पृष्ठभूमि :
प्रस्तावित परियोजना तथा अवस्थिति :
निधि उपयोग क्षेत्र :
संवर्धक :
मौजूदा वित्तीय संरचना :

करोड़ रू0 में

ब्यौरे	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
बिक्री				
कर उपरांत लाभ				
ईक्विटी पूंजी				
ऋण निधियां				

संभावित लाभकारिता :

(करोड़ रू0 में)

ब्यौरे	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिक्री				
कर उपरांत लाभ				
ईक्विटी पूंजी				
कर उपरांत मार्जिन %				

आईवीसीएफ को पेसकस

परियोजना की लागत	वित्त पोषण के माध्यम	आईवीसीएफ को पेसकस

मौजूदा मूल्यांकन :
प्रत्याशित मूल्यांकन :
प्रत्याशित आईआरआर :
सकारात्मक पहलू :
नकारात्मक पहलू :
अन्य अभियुक्तियां :
सुझाव

अनुबंध-IV

सुविचारित (ड्यू डिलिजेंस) माड्यूल्स

I. कम्पनी के सांविधिक दस्तावेज

क) संगठन चार्ट

ख) कम्पनी संविदाएं
(स्वामित्व/किराया/ऋण/परामर्शी/वारंटी/आपूर्तिकर्ता/ग्राहक/प्रतिवेदन)

ग) शेयरधारिता पद्धति

घ) नियंत्रित कम्पनियां/शाखा कार्यालय

ड.) संयुक्त उद्यम, सहयोग, बंधन

च) एमओए, एओए

छ) पंजीकरण प्रमाणपत्र

ज) कारोबार आरम्भ करने का प्रमाणपत्र

झ) कम्पनी का अंतिम टेलीफोन बिल

II. बाजार तथा प्रतिस्पर्धा

क) उत्पाद वर्णन

ख) प्रौद्योगिकी

ग) बाजार/उद्योग विश्लेषण

घ) प्रतिस्पर्धा विश्लेषण

ङ) ग्राहक

च) विपणन कौशल, वितरण कार्यतंत्र, विक्रय प्रयासों का संचालन, बिक्री संबंधी सांख्यिकी

III. कारोबार माडल तथा योजना

क) लक्षित कार्यनिष्पादन तुलना एवं मूल्यांकन

ख) कम्पनी का प्रोफाइल/इतिहास/कारोबारी माडल एवं कारोबारी डिवीजन

ग) स्रोत/खरीद (कच्ची सामग्री), आपूर्तिकर्ता की सूचना

घ) उत्पाद प्रक्रिया, अनुसंधान एवं विकास संबंधित गतिविधियां, उप-ठेकेदार

ङ) निर्यात दर, उद्धित मुद्रा, मुद्रा जोखिम

IV. प्रबंधन एवं संगठन

क) प्रबंधन/बोर्ड प्रोफाइल एवं पारिश्रमिक/संविदाएं

ख) निदेशक प्रोफाइल/प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि एवं पारिश्रमिक/निर्भरताएं/संविदाएं, प्रवर्तकों के पैन नम्बर, पहचान प्रमाण, गत तीन वर्षों हेतु प्रवर्तकों की आय विवरणियां

ग) दृष्टिकोण/दल गतिशीलता

घ) निगमित शासन, एमआईएस

ङ) नियंत्रण, आंतरिक रिपोर्टिंग

च) परियोजना प्रबंधन, उत्पाद प्रबंधन, कर्मचारियों को शामिल करना (टीक्यूएम/टीपीएम/सीआईपी)

छ) जोखिम प्रबंधन एवं अल्पीकरण योजनाएं/गुणवत्ता मानक

ज) इक्विटी, कॉरपोरेट कार्रवाई, निष्क्रिय भागीदार

V. वार्षिक रिपोर्टें तथा वित्तीय आंकड़े

क) अकाउंटिंग साफ्टवेयर, फ्लोचार्टस, परिसमापन योजनाएं हेतु प्रक्रियाएं मूल्यह्रास पद्धति और प्रोसेस टूल्स

ख) समूह कम्पनियों सहित गत तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें।

ग) परिसम्पत्ति अनुसूची, मूल्यह्रास अमूर्त परिसम्पत्तियां।

घ) आईपी अधिकार, लाइसेंस, एनडीए, विवाद

ङ) सम्पत्ति अधिकार, बड़ी परिसम्पत्तियां।

च) कर्जदारों की सूची, ऋण की मात्रा, क्रेडिट रेटिंग्स

छ) उपचय पूलिंग करार

ज) संभूतियों की सूची, पेंशन संबंधित देनदारियां।

झ) पीएण्डएल- विवरण (पुन: उत्पाद, ग्राहक, कारोबारी एकक, क्षेत्र)

ञ) कार्यकलाप आधारित लागत/प्रबंधन (एबीसी/एम)

ट) आकस्मिक देनदारियां

ठ) भूमिका पुनर्मूल्यांकन, यदि कोई हो।

ड) प्रदत्त लाभांश

ढ) मूल्यांकन का आधार

ण) आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टें

VI. कारोबार योजना पुनरीक्षा

क) प्रक्षेपित वित्तीय योजना (पीएण्डएल, तुलन पत्र, नकद प्रवाह)

ख) बिक्री योजना (उत्पाद, बाजार)

ग) उत्पाद योजना

घ) मानव संसाधन योजना

ङ) निवेश योजना

च) चल निधि योजना

छ) अन्य, निहित अवधारणाएं

ज) निधियों के संग्रहण तथा उपयोग हेतु समय सीमा

VII. कार्यबल तथा कर्मचारी लाभ

क) कर्मियों की सूची एवं पारिश्रमिक

ख) उच्चतम अर्जन स्तर के साथ कर्मचारियों की विस्तृत सूची।

ग) कम्पनी के लेखों तक पहुंच रखने वाले कर्मियों की सूची।

घ) एचआर संविदाएं।

ङ) कर्मचारी लाभ कार्यक्रम एवं लागतें।

च) पूर्व वर्षों के उपायों में कटौती करना।

VIII. अन्य

क) आपूर्तिकर्ता, भागीदार, समझौता ज्ञापन, यदि कोई हो, अनन्य अधिकार आदि।

ख) बीमें

ग) उत्पाद देयता

घ) पर्यावरण संबंधी मुद्दे/प्रदूषण स्तर

ङ) अधिकारियों के साथ पत्राचार

च) महत्वपूर्ण कारोबारी विकास

छ) कानूनी विवाद/आरोप/कम्पनी के विरूद्ध आरोप/प्रवर्तक आदि कोई हो।

ज) भूमि पट्टा पेपर

झ) जारी कानूनी मुकदमों पर जिम्मेदारी, यदि कोई हो अथवा नहीं।

ञ) दो व्यक्तियों/ग्राहकों के संपर्क हवाले जो एक ही प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं।

ट) अन्य कोई सूचना, यदि कोई हो।

IX. लेखा का निरीक्षण

1. लेखा प्रणाली (मैन्युअली, टेली, एसएपी आदि)
2. संसाधनों तथा निधियों के उपयोग हेतु सनदी लेखपाल का प्रमाणपत्र
3. चैकसोर्स/बैंक वितरण तथा लेखा पुस्तकों के साथ निधियों की प्राप्ति।
4. बैंक विवरण तथा लेजर/सीए प्रमाणपत्र के साथ शेयर आवेदन राशि की प्राप्ति।
5. कार्यवृत्त बुक/आरओसी विवरणी तथा शेयर रजिस्टर से जांच करने के लिए शेयर पूंजी लेखे (लेजर)
6. ऋण स्वीकृति तथा इसका वितरण: संस्थान/बैंक के आशय पत्र तथा बैंक विवरण/सीए प्रमाण पत्र के साथ इसका वितरण
7. बैंक समाधान विवरण
8. नकद भुगतान प्रणालियों की जांच
9. प्रवर्तकों से ऋण: प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत
10. लेखे पुस्तकों में प्राप्त कोई अन्य बड़ी राशि।
11. भूमि पर खर्चे: स्रोत, यदि राशि नकद अथवा शेयर पूंजी के बदले में अदा की गयी हो, यदि शेयर पूंजी चाहे शेयर आवंटित किए गए हो अथवा अन्यथा

12. भूमि के विकास पर खर्चे, भवन, चारदीवारी, रोड आदि पर किए गए खर्चे।
13. संयंत्र और मशीनरी की खरीद हेतु अग्रिम अथवा पूर्ण रूप से अदा की गयी राशि।
14. 9 से 11 तक के खर्चे बिलों/बीजकों/खरीद आदेशों से सत्यापित किए जाएं तथा भुगतान लेखा पुस्तकों/बैंक विवरण से सत्यापित किए जाएंगे जिनमें स्थायी/चल सम्पत्तियों की खरीद भी शामिल है।
15. स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर, स्थायी परिसम्पत्तियों हेतु सत्यापन/प्रविष्टियों की जांच हेतु
16. प्रचालन पूर्व खर्चों की लेजरों, बैंक विवरणियों, वाउचरों की सहायता से जांच करना
17. सभी स्थायी/चल परिसम्पत्तियों हेतु बीमा कवर।
18. सभी सांविधिक देनदारियों की कटौती तथा भुगतानों की जांच करें, विवरणियां (तीन वर्षों हेतु आयकर, प्रोविडेन्ट फेड, आरओसी, वैट, सेवा कर आदि) (कम्पनी से एक प्रमाणपत्र प्राप्त करें)।
19. आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट यदि उपलब्ध हो।
20. पूर्ववर्ती 2/3 वर्षों के तुलनपत्र, यदि उपलब्ध हों।
21. निदेशक मण्डल की नियुक्तियां (प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशकों के वेतन/पर्क्स के भुगतान हेतु)
22. आकस्मिक देनदारियां, कम्पनी द्वारा दी गयी गारंटी।
23. कम्पनी द्वारा तथा कम्पनी तथा निदेशक के विरूद्ध दायर किए गए मुकदमें।

* स्रोतों एवं निधियों के उपयोग हेतु सनदी लेखापाल का प्रमाणपत्र अपेक्षित होगा।

** बैंक विवरणियों की लेजर के साथ प्रति जांच।

****